सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 120/14 **निर्णय दिनांकः—19—07—2019**

1. मकबूलशाह पुत्र मुबारक शाह जाति मुसलमान निवासी चक 19 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।
2. नविन्द्रपाल कौर पुत्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एफ. एफ. हाल चक 8 केजेडी खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 13—04—2017 जिसके द्वारा अपीलांट् को बतौर विशेष आवंटन में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30—06—1999 को बतौर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना

पत्र पर आवंटन अधिकारी द्वारा चक 8 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 83/14 की 35 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में किया गया तथा निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत अर्थात रूपये 50480/— भी जमा करवा ली गई। आवंटन अधिकारी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त उक्त भूमि का पट्टा भी अपीलांट् के पक्ष में जारी कर दिया गया। आवंटन पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होने पर उक्त भूमि का पुनः आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जब विशेष आवंटन के तहत वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया जा चुका था ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट् की आक्यूपाईड लैण्ड होने से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। यदि तत्सयम ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो स्वमेव यह तथ्य साबित हो जाता कि आराजी जैर अपीलांट् को आवंटित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन विशेष आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन की वरियता कायम करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्स को विधिवत नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से आवंटन किया जाना चाहिए था।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो गया तथा उनके द्वारा खातेदारी भूमि प्राप्त की ली गई है। ऐसीस्थिति में चूंकि अपीलांट् द्वारा 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। लिहाजा अपीलांट अन्य किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता है अतः अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 10—05—2019 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को आवंटित की गई थी परन्तु अपीलांट् स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन नहीं कराने तथा अमानत राशि वापस किये जाने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 22—05—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी

स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित किया जाना व आवंटन के पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना व अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है। अदालत मातहत द्वारा उसी् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित होने के पश्चात् खातेदारी अधिकार भी उनके द्वारा प्राप्त किये जा चुके है। अपीलांट का कथन है कि उपखण्ड स्तर पर अन्य भूमि आवंटन नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलांट का यह अपील पेश करनी पड़ी है। आवंटन अधिकारी का यह दायित्व था कि अपीलांट को वैकल्पिक आवंटन करते परन्तु आदेश के 18 साल बाद भी दोहरे आवंटन की स्थिति को दुरूस्त नहीं करना आंवटन अधिकारी की अकर्मणयता की पराकाष्ठा है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार समान श्रेणी की अन्य आराजीराज भूमि का आवंटन करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर